कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/विविध/2024/377/2024 दिनांक –13/05/2024

प्रेषित–

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:– प्रस. 377/2024 अंतर्गत रतनलाल पिता धन्नालाल माली निवासी पण्डेर बनाम रामस्वरूप पिता लादू गुर्जर, मोनू पिता पन्नालाल कुम्हार, सत्यनारायण पिता गोपाल कुम्हार, रामप्रसाद पिता मोहन गुर्जर, छोटू पिता मोहन गुर्जर, कैलाश पिता मोहन गुर्जर, गोपी पिता मोहन गुर्जर, प्रभु पिता मोहन गुर्जर निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर कोटड़ी की पत्थरगढ़ी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम पण्डेर पट. पण्डेर की आराजी सं. 4147 रकबा 0.2157 है, आराजी सं. 4148 रकबा 0.3804 है भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पण्डेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को बजरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

रतन पिता धन्नालाल माली निवासी पण्डेर

बनाम

रामकरण पिता लादू गुर्जर निवासी पण्डेर

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए मुकदमा नंबर 397/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
13/05/2024	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम पण्डेर प.ह. पण्डेर मे आराजी सं. 4147 रकबा 0.3157 है. , आराजी सं. 4148 रकबा 0.3804 है. भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम पण्डेर प.ह. पण्डेर की आराजी सं. 4147 रकबा 0.3157 है. , आराजी सं. 4148 रकबा 0.3804 है. भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक पण्डेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100रू राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे।** पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा	